सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 02 चैत्र, 1945 (श०) / 23 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 127

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	15
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	40
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	33
(4)	कृषि विभाग	13
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	13
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	09
(7)	सहकारिता विभाग	04
	कुल योग --	127

स्थापना करना

*2292. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के पैक्स का अपना उसना राइस मिल नहीं होने से प्राईवेट उसना राइस मिल में धान ले जाना पड़ता है, जहाँ पर उसना राइस मिल मालिकों द्वारा धान लेने से मना किया जाता है एवं धान का कमतोली कर पैक्सों का शोषण भी किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार हर पैक्स के लिये उसना राइस मिल की कबतक स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*2293. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार भू-हदबंदी अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि में बक्सर जिले के मौजा भोजपुर कदीम, थाना संख्या 154 के खाता संख्या 365, रकबा 65.95 एकड़ की भूमि डुमराँव महराज के परिवार के सदस्यों द्वारा बेच दिया गया है तथा अर्जित भूमि के बड़े भू-भाग पर अभी भी रैयत का ही दखल-कब्जा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भू-हदबंदी के तहत बिहार सरकार द्वारा अर्जित भूमि को चिह्नित कर निबंधन की गई भूमि का निबंधन रद्द करने तथा शेष बची भूमि पर से रैयत का मालिकाना हक समाप्त कर दखल-कब्जे से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*2294. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बरारी घाट में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्य में जो छड़ बाँधा जाता है, उसे दो-दो, तीन-तीन महीने तक बाँधकर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसमें जंग लग जाती है, यदि हाँ, तो सरकार जंग लगे हुये छड़ से काम करने जाने की जाँच कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वापस कराना

*2295. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा दुग्ध सहयोग समितियों द्वारा किसानों से ली जानेवाली दूध का न्यूनतम मानक फैट 3.0 प्रतिशत एवं एस0एन0एफ0 गुणवत्ता फैट 8.0 प्रतिशत निर्धारित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहयोग समितियों द्वारा किसान के सामने मानक की जाँच नहीं की जाती है, बाद में उक्त मानक से कम रहने की बात कहकर किसानों को न तो दूध की कीमत दी जाती है और न ही दूध वापस की जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानक से कम रहने पर किसानों का दूध वापस कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । समिति स्तर पर सभी दुग्ध उत्पादकों का दूध जाँचकर संग्रहण किया जाता है, निर्धारित मानक के अनुसार दूध सही होने पर ही दुग्ध का संग्रहण किया जाता है । निम्न गुणवत्ता का दूध, समिति द्वारा उत्पादक को वापस कर दिया जाता है ।

(3) पूर्व से ही निर्धारित मानक से कम रहने पर दूध उत्पादक को वापस कर दिया जाता है ।

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना

*2296. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के खरीक प्रखंड में तुलसीपुर पंचायत के वार्ड नम्बर 12 में नल-जल योजना अपूर्ण है, जिसके कारण ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में नल-जल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड में तुलसीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 दो भागों में विभक्त (1) तुलसीपुर (2) तुलसीपुर नवटोलिया जो कि एक-दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर अवस्थित है ।

वर्तमान में "हर घर नल का जल" योजना का क्रियान्वयन तुलसीपुर में किया गया है, योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर सुचारू रूप से जलापूर्ति किया जा रहा है ।

वार्ड संख्या 12 के दूसरे बसावट नवटोलिया है, जो वर्तमान योजना से लगभग 800 मीटर की दूरी पर अवस्थित है एवं लगभग 80 घर है । इस टोला के साथ ही अन्य छूटे हुये टोलों का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । योजना स्वीकृति के उपरान्त छूटे हुये टोलों के सभी घरों को "हर घर नल का जल" से आच्छादित कर लिया जायेगा ।

अवैध कब्जा हटाना

*2297. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत अंचल फुलवारीशरीफ, मौजा-कुरकुरी, थाना संख्या 36, ग्राम-कुरकुरी, थाना-फुलवारीशरीफ के हिन्दूनी चैक से कुरकुरी मुशहरी तक जाने वाली सड़क के दक्षिण में स्थित खाता संख्या 543, प्लॉट नम्बर 243 एवं 245 स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर बसे लोगों को हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ठीक कराना

*2298. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी द्वारा शहर में बहुतायत जगहों पर स्ट्रीट लाइट एवं तीन स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगायी गई थी, जो विभागीय देख-रेख के अभाव में खराब/बंद पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य प्रमुख बिहार EESL के पत्रांक 856, दिनांक 27 जून, 2022 के आलोक में उक्त नगर परिषद् के खराब/बंद पड़े कुल 4008 स्ट्रीट एवं 3 हाई मास्क लाइटों को ठीक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खराब/बंद पड़े लाइटों का रख-रखाव एवं ठीक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2299. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ नगर परिषद् क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन का निर्माण प्रखंड प्रांगण में कराने का निर्णय विगत 2 वर्ष पूर्व लिया गया था, परन्तु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भवन का निर्माण अबतक नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*2300. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत हिसुआ नगर परिषद् में पार्क नहीं रहने के कारण युवा एवं बुजुर्ग लोगों को टहलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार हिसुआ नगर परिषद् में पार्क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2301. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या 30 स्थित रामकृष्णानगर के आदर्श बिहार मोहल्ला पथ संख्या 2 में श्री अशोक प्रसाद के घर से ज्योतिष पथ तक भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराने हेतु दिनांक 22 जुलाई, 2022 को कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमंडल द्वारा प्राक्कलित राशि 13,78,500/- रूपये का प्रशासनिक एवं प्राक्कलित राशि की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, परन्तु आजतक वर्णित भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण का प्रशासनिक एवं प्राक्कलन की स्वीकृति नगर आयुक्त, पटना द्वारा नहीं दिये जाने का औचित्य क्या है ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*2302. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर शहर के बीचोंबीच रामरेखा नदी बहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण के कारण रामरेखा नदी नाला में तब्दील हो गया है, जिस कारण वर्ष 2017 में आये विनाशकारी बाढ़ के कारण रामनगर में भारी तबाही हुई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रामरेखा नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) समाहर्ता, प0 चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि रामरेखा नदी नाला के तब्दील नहीं हुआ है।

(3) समाहर्ता, प0 चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि रामरेखा नदी शहरी क्षेत्र में लगभग तीन किलो मीटर तक बहती है, जिसके अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमण वाद संख्या 04/2022-23 संधारित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

सड़क का पक्कीकरण

*2303. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज नगर परिषद् के वार्ड नं0 31 में पोठिया हवाई अड्डा विद्यालय से यादव टोला पोठिया बस्ती होते हुए बंगाल सीमा तक पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सुनिश्चित कराना

*2304. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के तेलघी पंचायत में पशु चिकित्सालय है, जिसका भवन जीर्ण-शीर्ण है एवं चहारदीवारी नहीं है तथा चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसके कारण पशुपालकों को पशु इलाज एवं स्पर्शाघात में मृत पशुओं के पोस्टमार्टम में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार, चहारदीवारी निर्माण एवं चिकित्सकों की बढ़ोतरी को सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2305. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने मुख्य रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य टैगिंग उत्पाद को थोक बिक्रेताओं द्वारा खुदरा बिक्रेताओं द्वारा, खुदरा बिक्रेताओं को देने का प्रावधान किया गया है, साथ ही फेयर ऑफ रोड की राशि खुदरा बिक्रेताओं को देने का प्रावधान किया गया है, जबकि खाद कंपनियां थोक बिक्रेताओं के माध्यम से खुदरा बिक्रेताओं से अन्य टैगिंग उत्पाद छाता और मच्छरदानी तक बिकवाने के साथ फेयर ऑफ रोड की राशि से ली हैं, जिससे किसानों को अधिक मूल्य पर खाद मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवंटन करना

*2306. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शहरी अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद् में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग इस लाभ से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामनगर नगर परिषद् अंतर्गत प्रति घर सर्वे करा पात्र लोगों को 5 डिसमील जमीन कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

*2307. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी, आमस एवं डोभी प्रखण्ड के सभी पंचायतों में पात्रता रखने वाले 50% परिवारों को राशन कार्ड के अभाव में विगत तीन वर्षों से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के कार्यालय में उक्त वंचित लोगों ने जून, 2022 में शपथ-पत्र के साथ आवेदन भी दिया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छूटे हुए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश देना

*2308. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर एवं वजीरगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी सरकारी कार्यालय में नहीं बैठकर किसी निजी आवास से कार्यान्वयन संचालित कर जमीन से संबंधित कार्य करने में जनता का शोषण करते हैं,

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुये राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने एवं स्थाई सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने का आदेश देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, गया के प्रतिवेदनानुसार गया जिला के मानपुर एवं वजीरगंज तथा अन्य सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भू-राजस्व से संबंधित सभी कार्य सरकारी भवनों यथा आधुनिक अभिलेखागार-सह-डाटा सेन्टर, पंचायत सरकार भवन एवं अंचल मुख्यालय स्थित सरकारी भवन से ही बैठकर जमीन से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। किसी निजी आवास से भू-राजस्व (जमीन संबंधी) कार्यों से संबंधित कार्यान्वयन संचालित नहीं किये जाते हैं।

(2) उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है। विभागीय पत्रांक 708(4), दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों का कार्यालय वर्णांकित स्थान यथा अंचल कार्यालय एवं राजस्व कचहरी भवन/पंचायत भवन से संचालन करने एवं निरीक्षण के क्रम में निदेशों का उल्लंघन किये जाने का मामला पाये जाने पर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निदेश सभी समाहर्ता, बिहार को संसूचित है।

ट्यूबवेल लगवाना

*2309. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अनूसूचित जाति एवं जन-जाति तथा आपदा अन्तर्गत आनेवाले लोगों के लिये ग्रेवल पाइप ट्यूबवेल चापाकल अथवा D.T. ड्रिल ट्यूबवेल का आवंटन प्रत्येक वर्ष जिलावार किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधान सभा क्षेत्र की 17 पंचायत तथा तारापुर विधान सभा की 15 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र के समीप है, जिससे नल-जल योजना से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमालपुर की 17 पंचायत तथा तारापुर की 15 पंचायत के पहाड़ी क्षेत्र समीपस्थ पंचायतों के लिये विशेष ग्रेवल पाइप ट्यूबवेल अथवा ड्रील ट्यूबवेल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*2310. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती एवं कहलगांव प्रखंड नल-जल योजना अन्तर्गत लगाये नल से जलापूर्ति पूर्णत: बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में सर्वेक्षण कराकर चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसीद कटवाना

*2311. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के पंचायत बथुनिया के

परताहा गाँव में निवास करने वाले महादलित परिवारों को सरकार के द्वारा शिलिंग एक्ट के तहत भू-हदबंदी 1987-88 में जमीन का पर्चा दिया गया था, जिसका रसीद 2015-16 तक कटा हुआ है, परंतु उक्त जमीन का वर्तमान में रसीद काटने से मना कर दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर रसीद कटवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*2312. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना सिटी अनुमण्डल अन्तर्गत भद्रघाट से दमरियाही घाट तक गंगा नदी के तट पर सड़क का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी सघन आबादी का क्षेत्र है, और उक्त सड़क के निर्माण से जाम की समस्याओं से कुछ हद तक निजात पाया गया है, परन्तु गलियों से घाट को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण न होने से नागरिकों को उक्त सड़क का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गलियों से घाट की ओर जाने वाली सड़कों के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्त कराना

*2313. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना सदर अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखंड फुलवारी शरीफ में थाना नं०-52, खाता नं०-71, खेसरा संख्या-238, रकबा-6.25 डि० जमीन श्री प्रभात रंजन, पिता-गजेन्द्र मोहन कुमार, वीणा देवी, पंखुरी कुमारी इत्यादि के नाम से जमीन का रशीद 12 वर्षों से कट रहा है, जिसका वर्ष 2011 से अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*2314. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखण्ड के दरियापुर भेलवा पंचायत के श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के बगल में पशु चिकित्सालय अवस्थित है जिसका भवन जर्जर है तथा पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं है, जिससे पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, उपचार के अभाव में पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु अस्पताल का कबतक भवन निर्माण एवं पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंध कराना

*2315. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर निगम, बेतिया के वार्ड नंबर 22 के बगल से होकर चन्द्रावत नदी गुजरती है, जिसमें शहर का गंदा पानी गिरता है लेकिन अतिक्रमण के कारण पानी का बहाव बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शहर के गंदे पानी के समुचित निकास का प्रबंध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*2316. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी नगर परिषद क्षेत्र स्थित बखरी बाजार में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं होने से दुकानदारों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बखरी बाजार में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*2317. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी शहर में जल-जमाव की समस्या रहती है, जिससे आम जनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार पुपरी शहर को जल-जमाव से मुक्त कराने हेतु कबतक सम्प हाउस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*2318. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय चरपोखरी, अंचल कार्यालयों में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं जबकि 3 साल में स्थानान्तरण का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में पदस्थापित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का स्थानांतरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारंभ कराना

*2319. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के ग्राम पंचायत राज हावीभौआड़ के वार्ड सं० 6 में विभाग द्वारा जलमीनार का निर्माण किया गया था परंतु उक्त जलमीनार से जलापूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जलमीनार से जलापूर्ति प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2320. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण का लाभ दिलाने में 20 जिले पिछड़े'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण योजना वर्ष 2022 में लागू किया गया लेकिन बक्सर, कैमूर, रोहतास सहित बीस जिलों में कृषि पदाधिकारी के कार्य शिथिलता के कारण इसकी प्रगति अच्छी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कर्तव्य में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत किसान द्वारा अनुदान की राशि काटकर शेष राशि (कृषक अंश) का भुगतान कर संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय करने का प्रावधान है । अतः किसान को अनुदान का लाभ यंत्र क्रय के समय ही प्राप्त हो जाता है ।

कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना 2022-23 अंतर्गत अभीतक राज्य में कुल वित्तीय लक्ष्य के 85.20 प्रतिशत अनुदान राशि के यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है ।

निर्माण कराना

*2321. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी नगर पंचायत में जल-जमाव की समस्या रहने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला एवं सम्प हाउस का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निमार्ण कराना

*2322. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज एवं जोगबनी नगर परिषद् में विद्युत् शवदाह गृह नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को अपने मृत परिजन का अंत्येष्टी करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों नगर परिषद् में विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद रेक लगवाना

*2323. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि है मुंगेर जिलान्तर्गत कृषि कार्य हेतु बिहार सरकार द्वारा खाद का रेक लगाये जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान में जमुई, बरौनी, तथा नौगछिया से खाद मंगाया जाता है, जिससे किसानों को खाद हेतु कई दिन/सप्ताह का इंतजार करना पड़ता है तथा समय पर खाद नहीं मिलने से फसल का नुकसान हो जाता है, जबकि 15 वर्ष पूर्व इस जिलान्तर्गत जमालपुर में खाद की रेक लगाने की व्यवस्था थी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसान हित में मुंगेर जिला के जमालपुर में पूर्व की भाँति खाद की रेक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करवाना

*2324. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर प्रखंड के रामापुर, महेशपुर पंचायत के चकहैदर में स्थित पशु अस्पताल एवं मोरवा प्रखंड के हरपुर भिंडी पंचायत स्थित पशु अस्पताल में चिकित्सकों के नहीं रहने और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र की जनता को पशुओं के इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पशु अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये चिकित्सकों के पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समाधान निकालना

*2325. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारीगण अपने सेवा का स्थायीकरण एवं लम्बित वेतन भुगतान के लिये वर्ष 2019-21 एवं 2022 में लम्बी हड़ताल जिसके आलोक में समाधान की दिशा में अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इनके माँगों की पूर्ति हेतु समाधान निकालने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन दिलवाना

*2326. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचौल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों, दलित, अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत, सदुल्लहा, जगवन, धजवा, नूरचक आदि गाँवों में लगभग पाँच सौ भूमिहीन परिवार बसे हुये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में बसे हुये भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अंचल बिस्फी अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को पंचायतवार भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :--

पंचायत का नाम	भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या
बलहा	27
रथौस	15
सदुल्लाहपुर	04
जगवन पश्चिमी	20
बिस्फी	01
रघेपुरा	06
सवारा	25
सिंघासो	05
सिंगिया पूर्वी	07
जगवन पूर्वी	30.
नूरचक	02
रघौली	03

बासहीन परिवारों को पूर्व में बासगीत पर्चा एवं सरकारी भूमि के बंदोबस्ती के माध्य से आच्छादित किया गया है ।

सर्वेक्षणोपरान्त संज्ञान में आने वाले भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

कार्रवाई करना

*2327. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ अंचल में वर्तमान में पदस्थापित अंचलाधिकारी अपने कार्य स्थल से लगातार अनुपस्थित रहती है, जिसके कारण जनहित के कार्यों यथा दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान रसीद अद्यतन आदि कार्यों के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुये उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि का सर्वे कराना

*2328. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है, जिसे भू-अभिलेख मारबल (मैप एवं रिकार्ड बेस्ड लैंड इनटाइटिलमेंट) (नक्शा और रिकार्ड आधारित भूमि अधिकार के तहत जाँच करना है, परंतु पूर्वी चम्पारण जिले में अभीतक यह कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण सर्वे बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी प्रखंड अन्तर्गत बापूधाम चन्द्रहिया में स्थित महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 302 एकड़ भूमि भू-स्वामी से अधिग्रहित कर अधिसूचना जारी करते हुये भारत सरकार को भेजा जाना है, परन्तु अभीतक मारबल के तहत भूमि का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण इसे संबंधित कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बापूधाम चन्द्रहिया स्थित उक्त विश्वविद्यालय के अधिग्रहित भूमि का भू-अभिलेख मारबल के तहत समय-सीमा के अंदर भूमि का सर्वे कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2013 एवं 2017), विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2019) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 165, दिनांक 15 मार्च, 2019 द्वारा अधिसूचित तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है ।

अधिनियम, नियमावली एवं तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में किये जाने वाले भू-सर्वेक्षण कार्य में सुनवाई प्रक्रम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सुझाव के रूप में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा मारबल (मैप एंड रिकार्ड बेस्ट लैंड इनटाइटिलमेंट) बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है । मार्बल के आलोक में जाँच करने संबंधी कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक । राज्य में भू-अधिग्रहण का कार्य उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के आलोक में सम्पादित किया जाता है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

लाभ दिलवाना

*2329. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, हाँसा के ग्राम-लक्ष्मीपुर के वार्ड नम्बर 1 में गिदवास सिमराहा जाने वाली पक्की सड़क जो सेनानी टोला तक जाती है, उसके किनारे बसे हुये 50 घर तथा वार्ड नम्बर 2 में नहर से पश्चिम आवासित 50 घर महादलित समुदाय और 25 घर यादव टोल के लोग "नल-जल योजना" के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार लक्ष्मीपुर ग्राम के वार्ड नम्बर 1 तथा वार्ड नम्बर 2 के नल के जल से वंचित लोगों को "नल-जल योजना" का लाभ देने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, हाँसा के ग्राम-लक्ष्मीपुर के वार्ड नम्बर 1, मंडल टोला में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 138 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । इस योजना से लगभग 2.5 किलो मीटर की दूरी पर सेनानी टोला अवस्थित है, जो योजना के लाभ से वंचित है तथा यहाँ । नई योजना की आवश्यकता है । इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 248 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । इस योजना से महादलित टोला लगभग 1 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है, जिसमें 82 घर योजना के लाभ से वंचित है । यहाँ भी एक नई योजना की आवश्यकता है । छूटे हुये घरों का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करते हुये तत्संबंधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदोपरान्त वंचित घरों को आच्छादित कर दिया जायेगा ।

दखल-कब्जा दिलाना

*2330. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुज्जफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अंचल मुशहरी एवं बोचहां में सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को बसने हेतु भूमि दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा एवं बन्दोबस्ती पर्चा दिया जा चुका हैं, लेकिन कई वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें उनके नाम से आवंटित भूमि की रसीद नहीं दी गई और ना ही उन्हें दखल-कब्जा दिलाया गया है, जिसमें सर्वाधिक भूमिहीन मुशहरी अंचल के रोहुआ पंचायत के है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बासगीत पर्चा एवं बन्दोबस्ती पर्चा प्राप्त भूमिहीनों को रसीद निर्गत कर दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) समाहर्ता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि मुशहरी अंचल के ग्राम पंचायत-रोहुआ अंतर्गत घोषित अधिशेष भूमि (दिनांक 24 मार्च, 1990 को प्रकाशित गजट के आधार पर) भूमिहीनों के बीच बंदोबस्ती पर्चा वितरित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-2781/1990 अंतर्गत पारित आदेश द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1990 को प्रकाशित गजट रद्द कर दिया गया है और इस आधार पर निर्गत पर्चाधारी को दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है एवं उनका लगान रसीद नहीं निर्गत किया गया है।

बोचहाँ अंचल अंतर्गत बोदोबस्ती/पर्चाधारी लगभग सभी लाभुकों के दखल-कब्जा में भूमि है।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

निर्माण कराना

*2331. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत जोगबनी एवं फारबिसगंज नगर परिषद् में श्मशान स्थल का घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा श्मशान भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों नगर निकाय में अवस्थित श्मशान स्थल का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2332. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिला अस्पताल भवन के निर्माण के लिए जहानाबाद में बस स्टैंड के पास स्थित कृषि विभाग की जमीन को जिला पदाधिकारी की टीम ने उपयुक्त माना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 190/जो0, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा जमीन स्थानांतरण हेतु कृषि विभाग को पत्र भेजा गया है, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अस्पताल का निर्माण हेतु कृषि विभाग की उक्त स्थान की भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2333. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुशहरी ग्राम पंचायत राज मणिकाहरिकेश में अति प्राचीन मंदिर बाबा बनवारी नाथ मंदिर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मंदिर के सैकड़ों एकड़ भूमि को वर्ष 1962 के सर्वे में निजी लोगों के नामों पर सर्वे कराकर जमीन के कुछ भागों को नाजायज तरीके से कब्जा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त मंदिर के अतिक्रमण भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी आपूर्ति कराना

*2334. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के कहलगाँव में शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति के पश्चात् अभीतक जल आपूर्ति नहीं होने के कारण आम लोगों को पीने हेतु पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहरी जलापूर्ति योजना के तहत स्वीकृत कहलगाँव में यथाशीघ्र पानी आपूर्ति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के कहलगाँव में शहरी जलापूर्ति योजना वार्ड सं0 1 से 17 में जलापूर्ति हेतु स्वीकृत है ।

♦ मूल एकरारनामा में 02 अदद नलकूप, 02 अदद पम्प गृह, 02 अदद जलमीनार एवं 92.188 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 7700 अदद गृह जल संयोजन का प्रावधान था ।

कहलगाँव शहर को 03 Zone में विभक्त कर योजना का कार्य किया जा रहा है ।

(क) Zone 1- वार्ड सं0 01 से 06 में SSV College स्थित जलमीनार का कार्य पूर्ण करते हुए 1992 गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर वर्तमान में जलमीनार से जलापूर्ति किया जा रहा है ।

(ख) Zone 2- वार्ड सं0 07 से 13 में जलमीनार का कार्य निर्माणाधीन है। कुल 3778 घरों का गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर सीधी जलापूर्ति किया जा रहा है ।

(ग) Zone 3 - वार्ड सं0 14 से 17 में शिवकुमारी पहाड़ पर स्थित GSR से कुल 2123 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति किया जा रहा है ।

♦ पूरक एकरारनामा में 26.941 कि0 मी0 पाइप लाइन एवं 2160 अदद अतिरिक्त गृह जल संयोजन का प्रावधान है । यह कार्य प्रगति में है तथा 15 अप्रील, 2023 तक कार्य पूर्ण होना सम्भावित है ।

व्यवस्था करना

*2335. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत दुर्गापुर पंचायत के गोविन्दपुर बहरसाल में 950 राशन कार्डधारी हैं, लेकिन वहां जन-वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है। वार्ड संख्या 4, 5 एवं 6 के उपभोक्ताओं को क्रमशः महानन्दा नदी पार कर भोलामारी, गोविन्दपुर, नया टोला, त्रिमुहानी जाना पड़ता है। यदि हाँ, तो सरकार जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता की नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बहरसाल में ही सभी उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 222, दिनांक 04 मार्च, 2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदित किया गया है कि अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत दुर्गापुर पंचायत के जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री नौशाद हुसैन, अनुज्ञप्ति संख्या 06/92 को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुर्गापुर पंचायत के बहरसाल, गोविन्दपुर, वार्ड संख्या 4, 5 एवं 6 लाभुकों को प्रत्येक सप्ताह के दो दिन (सोमवार एवं मंगलवार) राशन/किरासन तेल उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है एवं श्री हुसैन के व्यापार स्थल में परिवर्तन प्रक्रियाधीन है।

दुर्गापुर पंचायत में एक जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता का पद रिक्त है, जो बहरसाल गाँव के लिये सुरक्षित रखा गया है। जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता की बहाली प्रक्रियाधीन है। उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, कटिहार को नियमानुसार यथाशीघ्र नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विभागीय पत्रांक 972, दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निदेशित किया गया है।

साथ ही One Nation One Ration Card के तहत कोई भी लाभुक किसी भी जन-वितरण प्रणाली विक्रेता से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

नाला बनवाना

*2336. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज नगर परिषद् के वार्ड नं० 5 में करबला से मोतीबाग ढेकसरा तक सड़क के दोनों तरफ नाला नहीं होने के कारण पानी सड़क पर जमा हो जाता है जिससे आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक नाला बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2337. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के बजरंग चैका से ई०एस०आर० पेट्रोल पम्प, तेलिया पोखर होते हुये रामदयाल मसकरा जी के घर तक जाने वाली सड़क का निर्माण गुणवत्ता विहीन होने से कुछ महिनों में ही सड़क बीच-बीच में टूट गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की जाँच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2338. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोहिउद्दीननगर विधान सभा अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में 20 से 50 घर अभी भी नल-जल योजना से वंचित है, इन वंचित परिवारों में ज्यादातर दलित/महादलित समुदाय के परिवार हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में छूटे हुये घरों में जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑटो स्टेण्ड का निर्माण

*2339. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत नगर पंचायत पिपरा में कोई ऑटो स्टैण्ड नहीं है, जिससे आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि नगर पंचायत पिपरा में सरकारी भूमि उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत पिपरा में ऑटो स्टैण्ड कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमोदन करवाना

*2340. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला अन्तर्गत बगहा खास में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु जिला समाहर्ता, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 16 प्र०, दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा भूमि हस्तांतरण अभिलेख की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव आयुक्त के सचिव तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भेजा है, परंतु इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से हस्तांतरित भूमि पर अनुशंसा संसूचित कराते हुये अभिलेख अनुमोदन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करवाना

*2341. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ(कम्फेड) के संचालन पद्धति "आणंद" के नियमानुसार दुग्ध संघों में स्थायी प्रबंध निदेशक का रहना आवश्यक है जबकि शाहाबाद, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर दुग्ध संघों में कनीय को प्रभार देकर कार्य संचालित किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार "आणंद" पद्धति की मूल भावना के तहत दुग्ध सहकारी संघों में स्थायी प्रबंध निदेशक को पदस्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करवाना

*2342. श्री मुहम्मद इजार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखंड के पंचायत दौला पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को पशुओं के इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायत स्थित पशु अस्पताल का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य करवाना

*2343. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विभाग द्वारा राज्य योजना मद से नाला निर्माण, सम्राट अशोक भवन निर्माण, स्ट्रीट लाइट, शवदाह गृह, बस स्टैण्ड, जल-जीवन हरियाली आदि कार्य कराये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत ढ़ाका नगर परिषद् सहित राज्य के 113 नगर निकायों में अबतक उपरोक्त कार्य शुरू नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर परिषद् ढ़ाका सहित वंचित 113 नगर निकायों में राज्य योजना मद से उपरोक्त कार्य को कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाल करवाना

*2344. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के कॉडिका 04 के प्रावधानों के अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (AE civil), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो तथा आमीन (JE civil) के स्थाई नियुक्ति में अधिमानता समाप्त कर दी गयी है । जबकि समान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के आलोक में स्थायी नियुक्ति में अधिमानता देने का प्रावधान था, यदि हाँ, तो सरकार इसे पुनः बहाल कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करवाना

*2345. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली विधान सभा के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में अवस्थित पशु चिकित्सा केन्द्र पर पशु चिकित्सक नहीं होने के कारण पशुपालकों को ससमय बीमार पशुओं का उचित ईलाज एवं टीकाकरण का कार्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनेक पशु काल ग्रसित हो जाते है, जिससे पशुपालकों में काफी आक्रोश ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सा केन्द्र पर एक पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2346. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत (टिकारी अंचल) टिकारी नगर परिषद् क्षेत्र के देवधारपुर वार्ड नं० 11, खाता नं० 46, प्लॉट नं० 407 (क,ख) प्लॉट नं० 409 एवं 410, रकबा 945 यानी 22.5 डी० रैयती जमीन पर स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मिलीभगत से गैर-कानूनी तरीके से सामुदायिक भवन, नाला एवं रास्ता बना दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्ता, गया के पत्रांक संख्या 2719, दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त जमीन का मापी कराने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन अंचालाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपर समाहर्ता, गया के आदेश का अनुपालन कराते हुये अंचल अधिकारी एंव दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करवाना

*2347. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एक भी मिट्टी अनुसंधान केन्द्र नहीं है, जिससे किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण केन्द्र कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार के नियंत्राधीन कोई मिट्टी अनुसंधान केन्द्र नहीं है । परन्तु सुपौल जिला के जिला मुख्यालय के संयुक्त कृषि भवन में जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है, जिससे प्रखंडों के चयनित ग्रामों से किसानों के खेतों से मिट्टी नमूना कृषि समवयक/किसान सलाहकर के द्वारा संग्रह कर प्रयोगशाला को उपलब्ध कराया जाता है जिसका विश्लेषण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को दी जाती है ।

पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी नमूना की वर्षवार विश्लेषण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	प्रखंड का लाभ	मिट्टी नमूना विश्लेषण की संख्या
2019-20	पिपरा	299
	किशनपुर	362
2020-21	सुपौल	41
	पिपरा	533
	किशनपुर	533
2021-22	पिपरा	795
	किशनपुर	795

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

निर्धारित करना

*2348. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "दबाव बिहार की चावल मिलों का धान कूटने में फूल रहा दम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अरवा चावल मिलों की संख्या अधिक है, जबकि उसना मिलों की संख्या मात्र 155 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में 155 उसना मिलों से लक्ष्य के अनुरूप 23 लाख 23 हजार 636 मिट्रिक टन उसना चावल उत्पादन करना संभव नहीं है, जिससे धन की अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उसना चावल उत्पादन का 50 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक । खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति के लिये निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मे०टन० के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम तिथि तक 42.05 मे०टन० धान की अधिप्राप्ति की गई है । राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में उसना चावल मिलों की मिलिंग क्षमता के आलोक में जिलावार उसना तथा अरवा चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(3) कंडिका 02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

आपूर्ति कराना

*2349. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र के मोरवा एवं ताजपुर प्रखंड में खरीफ और रबी फसलों के लिये किसानों को यूरिया खाद की समुचित आपूर्ति नहीं होने से कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में किसानों को समय पर यूरिया खाद की समुचित आपूर्ति कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । खरीफ, 2022 में मोरवा प्रखंड में यूरिया की कुल आवश्यकता 1545 मे0 टo के विरुद्ध 1699.20 मे0 टo एवं रबी 2022-23 में 2054 मे0 टo के विरुद्ध आपूर्ति 2001.95 मे0 टo आपूर्ति की गई है । उसी प्रकार ताजपुर प्रखंड में खरीफ, 2022 में 1064 मे0 टo के विरुद्ध आपूर्ति 639.75 मे0 टo एवं रबी मौसम में फरवरी, 2023 तक 1415 मे0 टo के विरुद्ध आपूर्ति 1033.56 मे0 टo हुई है । रबी 2022-23 में अक्टूबर, नवम्बर माह में आवश्यकता के विरुद्ध रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम आपूर्ति होने के कारण नैनो यूरिया का प्रयोग किसानों द्वारा किया गया है ।

आपूर्ति कम होने की स्थिति में उर्वरकों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार को समय-समय पर अनुरोध-पत्र भेजा जाता है ।

चापाकल लगवाना

*2350. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के अरवल विधान सभा क्षेत्र के कलेर प्रखंड के सकरी पंचायत के काली बिगहा एवं अरवल प्रखंड के सुमेरा गाँव में 5 वर्ष पूर्व लगाये गये चापाकल खराब होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है ।

- अरवल जिले के कलेर प्रखंड के सकरी पंचायत के काली बिगहा टोला में लगभग 175 लोगों की आबादी है, काली बिगहा टोला में विभागीय 2 अदद् साधारण चापाकल चालू अवस्था में है । वर्तमान में इस गाँव का जल स्तर 25' 0" है । "हर घर नल का जल" योजना हेतु यह टोला पंचायती राज विभाग अन्तर्गत है ।
- अरवल प्रखंड के सुमेरा गाँव में लगभग 800 की आबादी है जिसमें 7 अदद् सरकारी चापाकल में से 5 अदद् कार्यरत अवस्था में है । सुमेरा गाँव में "हर घर नल का जल" की 2 अदद् जलापूर्ति योजना PRD द्वारा संचालित है, जो वर्तमान में चालू है ।

वर्तमान में यहाँ का जल स्तर 24' 3" है । साधारण मरम्मती के लिये बंद 2 चापाकलों को मरम्मती कर चालू करा दिया जायेगा ।

उपलब्ध करवाना

*2351. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र की 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है परन्तु 40 प्रतिशत राशन कार्ड के लिये योग्य आबादी को अभीतक राशन कार्ड नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाकर वंचित गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का चौड़ीकरण करवाना

*2352. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर 20, 21, 22, 34 से गुजरने वाली 1 किलो मीटर सड़क जो अरविन्द सिंह के गद्दी से महानंद सिंह चौक, रतनपुर धर्मशाला चौक, प्रमिला चौक होते हुये बी0 पी0 चौक तक जाती है, वह संकीर्ण है, जिसके कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे यातायात बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालकों की नियुक्ति

*2353. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के Legal Metrology निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को Standard Weight से सुसज्जित वाहन (Mobile Kit) उपलब्ध कराया गया था, जिसके चालक की नियुक्ति अबतक नहीं होने के कारण वाहनों का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो Mobile Kit वाहनों के उपयोग नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*2354. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के तारापुर ग्राम में स्थित उदासीन संगत मठ की जमीन को महंथ श्री सागर दास के नाम पर राजस्व अभिलेख पंजी 2 में अंकित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महंथ श्री सागर दास का नाम पंजी 2 से हटाने हेतु प्र0 स0 अधीक्षक, बि0स0धा0 न्यास पर्षद, पटना द्वारा पत्रांक 2339, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के माध्यम से अंचलाधिकारी, एकंगरसराय को आदेश दिया गया था, जिसपर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राजस्व अभिलेख पंजी 2 से महंथ का नाम हटाने एवं आदेश के बावजूद अबतक नहीं हटाने वाले अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संशोधन करना

*2355. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना के अधीन वर्ष 2013 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एन0वी0आर0) के आधार पर भूमि क्रय करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एन0वी0आर0) के आधार पर कोई भी भू-स्वामी अपनी भूमि देने के लिये तैयार नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना से संबंधित लाभुकों के हित में वर्ष 2013 के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एन0वी0आर0) के दर में संशोधन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूरा करवाना

*2356. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 जा0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत जंगला टाल पंचायत में चिल्हनिया, भवानीपुर, कटहलबाड़ी में नल-जल योजना का काम अधूरा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में नल-जल योजना का काम पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत जंगला टाल पंचायत में चिल्हनिया वार्ड सं0 09 में योजना अधिष्ठापन कर जलापूर्ति की जा रही है। वार्ड के 70-80 घर नदी के किनारे अवस्थित है जो निर्मित योजना से लगभग 1.1 कि0मी0 की दूरी पर है जो जलापूर्ति से वंचित है।

इन बचे हुए कुल 70-80 घरों के लिए नये योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। अनुमोदनोपरान्त शीघ्र वंचित घरों को जलापूर्ति कर दी जायेगी ।

भवानीपुर वार्ड सं0 11 में योजना अधिष्ठापन कर जलापूर्ति की जा रही है, वार्ड के 80-90 घर महानन्दा नदी के किनारे बाँध के पार अवस्थित है जो जलापूर्ति से वंचित है। इनके लिए नये योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। अनुमोदनोपरान्त शीघ्र वंचित घरों को जलापूर्ति कर दी जायेगी ।

कटहलबाड़ी वार्ड सं0 10 में योजना अधिष्ठापित कर जलापूर्ति की जा रही है। इस वार्ड के लगभग 160-170 घर मूल योजना से लगभग 1.9 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित रहने के कारण जलापूर्ति से वंचित है। इन बचे हुए कुल 160-170 घरों के लिए नये योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। अनुमोदनोपरान्त शीघ्र वंचित घरों को जलापूर्ति कर दी जाएगी ।

दंडित करना

*2357. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढनी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड में एफ0सी0आई0 गोदाम से अनाज दुकानदारों तक पहुंचाने वाले ठेकेदार जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों को 50 के0जी0 के बोरा में से 10 के0जी0 समान निकाल कर 40 के0जी0 का जबरन सप्लाई देते हैं जिसके कारण दुकानदार उपभोक्ता को कम अनाज देते हैं ;

(2) क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी गोदाम मैनेजर और सप्लायर को दंडित करते हुए सही वजन दुकानदारों तक पहुंचाने का व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*2358. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद् क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु अभीतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सम्राट अशोक भवन के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2359. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के अन्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में सर्वाधिक दुग्ध का संग्रह होता है, परन्तु अनुमंडल में दुग्ध शीतक केन्द्र नहीं होने के कारण दुग्ध खराब हो जाता है, जिससे सरकार को काफी आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में 50 हजार लीटर क्षमता की दुग्ध शीतक केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2360. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में स्थित पशु चिकित्सालय, बहादुरगंज का मकान काफी जर्जर अवस्था में है और ना ही चहारदीवारी का निर्माण किया गया है जिसके कारण पशुओं का इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के जर्जर मकान का नवनिर्माण एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पशु चिकित्सालय, बहादुरगंज, किशनगंज का मकान मरम्मती योग्य है । वर्तमान में नये भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं है। भवन का अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज को राशि 2,48,200/- उपलब्ध करा दी गयी है।

चहारदीवारी निर्माण कराने के संबंध में प्राक्कलन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी ।

(2) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की दी गयी है ।

घेराबन्दी कराना

*2361. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखण्ड अन्तर्गत पाली पंचायत के ग्राम-बीरूपुर निवासी अशोक कुमार की रैयती जमीन जिसका खाता संख्या 64, खेसरा संख्या 1744 है जिसे अंचलाधिकारी, बड़हिया के द्वारा मापी वाद संख्या 12/2019-20 के तहत निष्पादित कर दिया गया है, परंतु उक्त जमीन की घेराबन्दी बगल के लोगों द्वारा नहीं करने देने के चलते भू-स्वामी ने अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के यहां भी आवेदन दिया है, लेकिन अबतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भू-स्वामी की रैयती जमीन की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

*2362. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सुशासन कार्यक्रम 2020--2025 के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 योजना अन्तर्गत नगर निकायों में शहरी आवास विहीनों के लिए बहुमंजली इमारत बनवाने, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन, मोक्षधाम योजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना एवं वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, ढाका, बैरगनिया सहित 87 नगर निकायों में उक्त कार्य/योजनाओं का क्रियान्वयन अबतक नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर परिषद्, ढाका सहित वंचित 87 नगर निकायों में उक्त कार्य/योजनाओं को लागू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करवाना

*2363. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जल-जीवन हरियाली के तहत आहर, पईन एवं तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज प्रखंड के पवरा गांव में आहर एवं पईन पर पूर्व से गरीब भूमिहीन अपना घर बनाकर निवास कर रहे हैं, जिन्हें सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में हटाया जा रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव में आहर एवं पाईन भूमिहीनों को नियमानुकूल भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

यथास्थिति निम्न है:-

(2) समाहर्ता-रोहतास के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज प्रखंड के ग्राम-पवरा से ग्राम-खड्डुआ तक आहर एवं पईन (करहा) जो जल-जीवन हरियाली स्त्रोतों से आच्छादित है । आच्छादित भूमि से माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC No 3198/2015 विश्वनाथ तिवारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को अतिक्रमण हटाने का पारित आदेश पर अतिक्रमण हटाने हेतु कुल 43 व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से अतिक्रमण वाद सं० 01/14-15 प्रारम्भ किया गया था । जिसमें अंचल अधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा अंतिम आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाने की बिक्रमगंज द्वारा अंतिम आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी । इसमें से एक अतिक्रमणकारी व्यक्ति सिद्धनाथ सिंह के द्वारा T.S No-36/2016 बिक्रमगंज के न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है इसके बाद पुनः माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No 13686/2022 नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को स्थगन आदेश पारित है तथा एक अतिक्रमणकारी द्वारा CWJC No 13706/2022 सिद्धनाथ सिंह, बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद दायर किया गया है । जिसमें भी दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 को पुनः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित है । वर्तमान में भी उक्त सभी वाद न्यायालय में विचाराधीन है । जिसके कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित रखी गई है ।

(3) उपर वर्णित वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

पशु अस्पताल खोलवाना

*2364. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया प्रखंड अंतर्गत ग्राम-नन्हकूमंडल टोले में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, जबकि विभाग की जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त टोले में पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-नन्हकूमंडल टोला में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, नन्हकूमंडल वर्ष 2013-14 से पंचायत भवन (सरकारी) में संचालित है । उक्त पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा नियमित रूप से चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

कार्रवाई करना

*2365. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के कुदह पंचायत में वर्ष 2021-22 में जमीन का कागज नहीं रहने के बावजूद गलत ढंग से लोगों द्वारा डीजल अनुदान एवं फसल क्षति का लाभ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करवाना

*2366. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड में बारसोई बिधौर ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क में गांजन गांव में नदी पर पुल बनकर 2014 से ही तैयार है, लेकिन पहुँच पथ हेतु किसानों से अधिगृहित जमीन का मुआवजा आजतक नहीं मिलने के कारण पहुँच पथ नहीं बन सका है । और पुल का उपयोग नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का पहुँच पथ हेतु किसानों के अधिगृहित जमीन का मुआवजा भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र खुलवाना

*2367. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड सहित बिहार में मछली का बीज एवं पशुओं का सीमेन संग्रह केन्द्र नहीं रहने के कारण लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में मछली का बीज एवं पशुओं का सीमेन संग्रह केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलवाना

*2368. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत विषहरिया के वार्ड नं० 5 हसनपुर पूरा वार्ड, वार्ड नं० 6 जे०बी०सी० नहर के पश्चिम मो० इसराफिल के घर के आस-पास 300 घर, वार्ड नं० 7 के पश्चिम भाग में 150 घर, वार्ड नं० 8 अकरथापा पूरब भाग कब्रिस्तान के पास 250 घर, वार्ड नं० 9 भरना टोला पश्चिम भाग में 25 घर एवं वार्ड नं० 10 शहादत टोला के पूर्वी भाग में 200 घर के लोग नल-जल योजना के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में नल के जल से वंचित लोगों को "नल-जल योजना" का लाभ देने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के पंचायत विषहरिया के ग्राम-हसनपुर में पूरा वार्ड नम्बर 05 में 146 घरों को आच्छादित करने हेतु नयी योजना की आवश्यकता है । जिसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । साथ ही विषहरिया के वार्ड नं० 06 में दो योजना अवस्थित है, दोनों ही योजना चालू अवस्था में है जिससे कुल 305 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । किन्तु उसी वार्ड में जे०बी०सी० नहर के पश्चिम 145 घर योजना के लाभ से वंचित है । यहां 01 नई योजना की आवश्यकता है । इसी प्रकार वार्ड नम्बर 07 अवस्थित योजना चालू अवस्था में है जिससे कुल 166 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । इसी वार्ड के पश्चिमी छोर पर लगभग 65 घर योजना के लाभ से वंचित है । वार्ड नम्बर 8 में अवस्थित योजना से कुल 93 घरों में जलापूर्ति की जा रही है एवं 95 घर योजना के लाभ से वंचित है । वार्ड नम्बर 09 में अवस्थित योजना से कुल 116 घरों में जलापूर्ति की जा रही है एवं 35 घर योजना के लाभ से वंचित है । वार्ड नम्बर 10 में अवस्थित योजना से कुल 85 घरों में जलापूर्ति की जा रही है किन्तु वार्ड के पूर्वी भाग में लगभग 125 घर योजना के लाभ से वंचित है । यहां भी 01 नई योजना की आवश्यकता है । इस प्रकार वार्ड नम्बर 06, 07, 08, 09 एवं 10 के छूटे हुये टोलों/बसावटों को आच्छादित करने हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है । योजना स्वीकृति के उपरान्त छूटे हुये टोलों/बसावटों को आच्छादित कर दिया जायेगा ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2369. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के ग्राम-सोसना में स्थित श्मशान घाट की जमीन का अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--समाहर्ता, औरंगाबाद के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि गोह प्रखंड के ग्राम-सोसुना में स्थित श्मशान घाट जिसका खाता संख्या 135, खेसरा संख्या 583 एवं 322, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल एवं में 84 डिसमिल भूमि पर कोई पक्का निर्माण या स्थायी अतिक्रमण नहीं पाया गया है । अस्थायी रूप से प्लॉट संख्या 322 में करीब 12 डिसमिल भूमि पर इसके अंश भाग में 1-2 लोगों के द्वारा फसल लगायी गई है । जिसे हटाने हेतु अंचल अधिकारी, गोह द्वारा नोटिस दिया गया है । संबंधित अतिक्रमणकारियों द्वारा लिखित रूप से फसल काटने के उपरान्त अतिक्रमण हटाने की सहमति अंचल अधिकारी, गोह को दिया गया है ।

जमीन उपलब्ध कराना

*2370. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 जनवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "27 हजार नये वासहीन महादलितों से बसाने की योजना" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के गृहविहीन परिवारों को विशेष घटक योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराकर 19 हजार अनुसूचित जाति परिवारों को एवं जनजातीय उप-योजना उपलब्ध कराकर 19 हजार अनुसूचित जाति परिवारों को एवं जनजातीय उप-योजना के तहत 1100 अनुसूचित जनजाति परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2009-10 में लिया है जिसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निर्णय के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के गृहविहीन महादलित परिवारों को प्रति परिवार 3 डिसमिल की दर से रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु बिहार महादलित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 1 जनवरी, 2010 से प्रारंभ किया गया ।

इस योजनान्तर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य 2,40,705 के विरुद्ध 2,40,750 महादलित परिवारों को 8,718.08 एकड़ वासभूमि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया गया, जो उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य का 100.02 प्रतिशत है । तदोपरान्त लक्ष्य प्राप्ति के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के पश्चात् यह योजना स्थगित कर दी गई ।

साथ ही, राज्य के सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I एवं अनुसूची II) के वास रहित सर्वेक्षित परिवारों को वास हेतु 3 डिसमिल जमीन क्रय कर उपलब्ध कराने के लिये बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2011 प्रारंभ की गई । अनुसूचित जाति के गृहविहीन परिवारों से संबंधित शिड्यूल कास्ट सब-प्लान तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित टी0एस0पी0 योजना भी इसी गृहस्थल योजना के अधीन है, जो वर्तमान में भी संचालित है । वर्ष 2015 से प्रति परिवार 5 डिसमिल की दर से भूमि आवंटित/बंदोबस्त की जा रही है ।

बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित 14,486 परिवारों में से अबतक 10,890 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करा दी गई है । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के सर्वेक्षित 4261 परिवारों में से अबतक 3203 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करा दी गई है । शेष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वासविहीन परिवारों को वासभूमि उलपब्ध कराने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है ।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विचार रखना

*2371. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के कोसी पूर्वी तटबंध के 98.80 किलो मीटर स्थित से कारू बाबा स्थान तक जानेवाली सड़क की अर्जित जमीन का मुआवजा भू-धारियों को मिल गया है परंतु जमीन का खाता, खेसरा भू-धारी के नाम से ही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन खाता, खेसरा का बिहार सरकार के नाम से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बासगीत पर्चा देना

*2372. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी प्रखंड के पैंकात पंचायत में ग्राम-वीरवास वार्ड संख्या 6, 7 में नगरपाड़ा तटबंध पर कोसी नदी के कटाव से पीड़ित 158 परिवारों का घर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगरपाड़ा तटबंध इन भूमिहीन कटाव पीड़ित परिवारों को तटबंध पर से घर को हटाने के लिये प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है ताकि बाँध का रख-रखाव हो सके ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन परिवारों को अन्य जगह बसाकर जमीन का बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*2373. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के पंचायत ओबरा के वार्ड नम्बर 02, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में नल-जल योजना अन्तर्गत कार्य अपूर्ण है, जिसके कारण ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में नल-जल योजना अन्तर्गत कार्य को पूरा कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के ओबरा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से वर्तमान में वार्ड संख्या 05, 06, 07, 11, 12 एवं 15 में कुल 650 घरों में जलमीनार के माध्यम से "हर घर नल का जल" उपलब्ध कराया जा रहा है ।

इस योजना से आच्छादित शेष वार्ड संख्या 02, 03, 13 एवं 14 के 707 घरों में टेप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विचलन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

कार्य प्रारंभ करवाना

*2374. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बंगाल सर्वे ऐक्ट 1875 के तहत जिला के सृजन काल से ही बालाबंदी कर्मचारी के अधीन कार्यरत थे जो जमीन की पैमाईश का कार्य किया करते थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जिलान्तर्गत 10 वर्ष पूर्व से बालाबंदी कर्मचारी से कार्य लिया जाना बंद कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में जिलान्तर्गत पुनः बालाबंदी कर्मचारी से कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन

*2375. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 30 अंतर्गत हरिशचन्द्र नगर में श्री पंकज कुमार के मकान से डॉ. पी0एस0 केशव के मकान तक 300 फीट एवं बबलू प्रसाद के मकान से मिथलेश सिंह के मकान तक 150 फीट सिवरेज डेढ़ फीट व्यास का पाइप लाइन बिछाने एवं पी0सी0सी0 सड़क बनाने हेतु कंकड़बाग प्रमंडल द्वारा मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम को 20 जनवरी, 2020 को प्राक्कलन भेजा गया था, जिसके आलोक में मुख्य अभियंता के कार्यालय की सँचिका संख्या 111-एम-1757/2020/सी0एम0ई0 द्वारा अंके 9,73,960/- रु0 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु 15 जून, 2020 को पटना नगर निगम, आयुक्त को भेजा गया था, जो अबतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन करने का विचार रखती है ?

व्यवस्था करवाना

*2376. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज नगर परिषद् क्षेत्र में पिछले सात माह से सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण शहरवासियों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र की नियमित सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निदान करना

*2377. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड में भाटाबाड़ी पंचायत गांगी पंचायत महेश बथना पंचायत तथा अन्य कई पंचायतों में हर घर जल-नल योजना के तहत किए जा रहे पानी सप्लाई में फिल्टर मीडिया एवं कार्बन फिल्टर नहीं रहने के कारण लोगों तक आयरनयुक्त पानी सप्लाई हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त समस्या का कबतक निदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड में भाटाबाड़ी पंचायत, गांगी पंचायत, महेशबथना पंचायत तथा अन्य पंचायतों में आयरन रिमूवल प्लांट (Iron Removal Plant) अधिष्ठापित है जिसमें फिल्टर मीडिया मौजूद है। भू-जल को IRP से शुद्ध कराने के उपरांत ही जलापूर्ति की जाती है।

अत: शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। फिल्टर मीडिया की सफाई के लिए बैकवाश करने की आवश्यकता होती है, जिसे पंप ऑपरेटर द्वारा किया जाता है।

अत: आयरण युक्त पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

सड़क का निर्माण

*2378. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के वृन्दावन कॉलोनी वार्ड सं0 56, पटना-हाजीपुर रोड से सटे पुरब स्थित है, जो पक्की सड़क से जुड़ी हुई नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के अजिमाबाद प्रमंडल द्वारा दिनांक 31 मई, 2019 को उक्त पथ की निविदा निकाली गई थी, परन्तु अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉलोनी में पक्की सड़क का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग जोन बनवाना

*2379. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर में बढ़े हुए यातायात घनत्व एवं अत्यधिक जाम होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार दरभंगा शहर में स्थल चिन्हित कर गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग जोन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2380. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के नागरिकों को 1952 से 1969 वर्ष तक के अपने भू-अभिलेख खतियान, केवाला इत्यादि के नकल के लिए आज भी पूर्णिया जिला के रिकॉर्ड रूम से ही सम्पर्क करना पड़ता है जबकि किशनगंज जिले का गठन 1990 में ही हो गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किशनगंज जिले के नागरिकों को किशनगंज जिला के रिकॉर्ड रूम से 1952 से 1969 तक का जमीन का खतियान और केवाला का नकल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लीज पर देना

*2381. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पूसा स्थित सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर का भवन उपयोग के अभाव में जर्जर हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा उक्त भवन को किसानों के प्रशिक्षण एवं रिसर्च हेतु मई 2021 से माँगा जा रहा है परन्तु अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ट्रेनिंग सेंटर के भवन को डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को लीज पर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2382. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक मूल्य पर बिक्री पर नियंत्रण हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021-22 में खगड़िया जिलान्तर्गत उर्वरक की कालाबाजारी जमाखोरी को प्रश्रय देने के आरोप में विभागीय संयुक्त जाँच दल द्वारा ज्ञापांक 395, दिनांक 24 फरवरी, 2022 के माध्यम से वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी को दोषी मानते हुये जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया था जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*2383. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा नगर परिषद् में शवदाह गृह (मुक्तिधाम) नहीं होने से बगहा शहर के निवासियों को दाह संस्कार कार्य करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बगहा नगर में गंडक नदी के किनारे मुक्तिधाम (शवदाह गृह) का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*2384. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "नगर निकायों में पाँच माह बाद भी आर०टी०पी०एस० काउंटर नहीं हुये चालू" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 01 अगस्त, 2022 से राज्य के सभी नगर निकायों में आर०टी०पी०एस० काउंटर प्रारंभ करने का निर्देश दिया था तथा इसके लिये प्रत्येक काउंटर को करीब डेढ़ लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे जिसमें कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरनेट तथा फर्नीचर की खरीद होनी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 6 माह समय बीतने के बावजूद भी राज्य के सभी 261 नगर निकायों में काउंटर नहीं खोला गया है जिसके कारण नगर निकायों के लोगों को जाति, आय, आवासीय सहित 58 सेवाओं के प्रमाण-पत्र के लिये अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर निकायों में आर०टी०पी०एस० काउंटर खोलकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2385. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में विभाग द्वारा अनुदान पर किसानों को दिये जाने वाले कृषि संयंत्रों के वितरण में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा विगत दो वर्षों से व्यापक पैमाने पर अनियमितता की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साफ-सफाई करवाना

*2386. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी पंचायत को वर्ष 2021-22 में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, परन्तु नगर पंचायत में लाइट की व्यवस्था, नाला का निर्माण तथा नगर का साफ-सफाई एवं सब्जी बाजार में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखंड इटाढ़ी के इटाढ़ी नगर पंचायत में लाइट की व्यवस्था, नाला का निर्माण, नगर का साफ-सफाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब की उड़ाहीकरण करवाना

*2387. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पत्रांक 2652, दिनांक 28 मई, 2019 के द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 9 तालाबों की उड़ाहीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना स्वीकृति के लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन 9 तालाबों में से 2 तालाब यथा वार्ड 15 में अवस्थित दुल्हीन तालाब तथा वार्ड 20 में जेटियाही तालाब की उड़ाहीकरण का कार्य अभीतक प्रारंभ नहीं हुआ है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित वार्ड 15 के दुल्हीन तालाब तथा वार्ड 20 के जेटियाही तालाब की उड़ाहीकरण का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2388. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "दुर्गंध और बजबजाती नालियों के बीच चार सौ से अधिक कॉलोनियाँ" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अशियाना-दीघा रोड से राजीव नगर होते गंगा नदी तक जाने वाली नाला को ढक्कन नाले के ऊपर सड़क का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्णय लिया गया था, जिसका कार्यान्वयन अबतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक उस निर्णय का कार्यान्वयन करने का विचार रखती है ?

उपस्थिति सुनिश्चित करवाना

*2389. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड सुगौली में पंचायत करमवा रघुनाथपुर के रघुनाथपुर बाजार में पशु चिकित्सालय है परंतु उसका अपना भवन नहीं है तथा डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण एवं पशु डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2390. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के केस संख्या जे०सी०नं० 2619/2012 में हुये न्याय निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जन-कल्याण समिति खास महाल, पटना को गलत विपत्र प्रस्तुत करने के कारण आरोपित करते हुये वर्ष 2014 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी भी नगर निगम, सीतामढ़ी में उक्त समिति द्वारा साफ-सफाई एवं कचरा उठाव कार्य किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्त कराना

*2391. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत नगर परिषद्, वारिसलीगंज में मुख्य सड़क पर बस एवं छोटी गाड़ियाँ खड़ी कर सवारी भरी जाती है, जिससे बाजार में हमेशा जाम लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2392. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के काराकाट (गोड़ारी) को नवसृजित नगर पंचायत का दर्जा विगत एक वर्ष पूर्व दिया गया था, परन्तु जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद अबतक उक्त नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में सम्राट भवन के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*2393. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का मरम्मती/पक्कीकरण करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु विक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विक्रम नगर पंचायत अंतर्गत असपुरा से बिक्रम बंगला पर होते हुये मनेर तेलपा हाई स्कूल तक सड़क जर्जर हो जाने से आमजन के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित सड़क पर मरम्मती/पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2394. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा एवं केवटी प्रखंड में स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से गोदाम प्रबंधक और मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा बोरा सहित अनाज वजन करवाया जाता है एवं अनाज निर्धारित वजन से भी काम रहता है साथ ही अनाज की बोरियों को भी अवैध रूप से बेच दिया जाता है तथा जिस कारण उपभोक्ताओं को अनाज कम मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनियमितता के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन अधिग्रहण करवाना

*2395. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के ग्वालापाड़ा पंचायत के नौहर गाँव के चबियारी टोला में लगभग तीन सौ घरों में लोग बसे हुये हैं, परन्तु उक्त टोला में जाने के लिये रास्ता नहीं रहने के कारण लोग पगडंडी का उपयोग करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त टोला में जाने के लिये जमीन अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2396. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणपुर एवं कोटवा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला भवन नहीं है, जिस कारण उक्त प्रखंडों में मिट्टी नमूना की जांच नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंडों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला एवं भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती करवाना

*2397. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र खुला स्थान मंगल तालाब परिसर है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह सैर करने जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मंगल तालाब पोखर के चारों ओर की सड़क-सह-जॉगिंग ट्रैक अत्यंत जर्जर है, जिसपर चलना भी दूभर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मंगल तालाब स्थित पोखर के चारों ओर की सड़क-सह-जॉगिंग ट्रैक की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*2398. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव के ग्राम-चिलहर के बड़की मांझी टोला एवं छोटकी मांझी टोला में 300 से अधिक संख्या में घर स्थापित है, जहां मात्र 2-2 चापाकल लगाया है, यदि हाँ, तो सरकार घरों की संख्या के अनुरूप चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि दिलवाना

*2399. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के भू-अर्जन के लिये बनकट, बैरिया, फुर्सतपुर के 301.97 एकड़ भूमि का मूल्यांकन दिनांक 14 जनवरी, 2016 को जिला समाहर्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा जिसकी अधिसूचना संख्या 2486, दिनांक 16 जून, 2017 को जारी किया गया जिसके प्रथम चरण में बनकट के अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि दी गई परंतु दिनांक 2 नवम्बर, 2019 को जिला भू-अर्जन द्वारा फुर्सतपुर मौजे के एक सौ दो एकड़ जमीन का दखलदहानी वो अधिग्रहण के चार साल बाद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया, क्योंकि भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्राधिकार के न्यायालय मुजफ्फरपुर में लंबित मामले की पीठासीन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण निष्पादन कार्य लंबित है, है, यदि हाँ, तो सरकार निष्पादन कराकर विधिसम्मत भू-स्वामियों को मुआवजा राशि दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करवाना

*2400. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि कार्य में आने वाले छोटे यंत्रों पर सब्सीडी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं होने से किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ट्रैक्टर पर किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना

*2401. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरूआ प्रखंड में बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल-जल योजना से शुद्ध पेयजल हेतु जलमीनार का निर्माण कार्य कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के नदौरा पंचायत अन्तर्गत जयपुर के वार्ड नं0 01 एवं 03 में मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने तथा विभागीय लापरवाही के कारण जल आपूर्ति बन्द है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं में हुई अनियमितता की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई के साथ आपूर्ति व्यवस्था सही कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) गुरूआ प्रखंड के नदौरा पंचायत अंतर्गत जयपुर ग्राम के वार्ड संख्या 01 एवं 03 में अनेक बार बोरिंग फेल हो जाने के कारण योजना अकार्यरत थी, वर्तमान में नया बोरिंग किया गया है, जिसकी Testing की जा रही है। स्रोत सफल होने के उपरांत योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ।

(3) अद्यतन स्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गई है ।

सिवरेज ट्रिटमेंट का निर्माण

*2402. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान का निर्माण कार्य वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है, जिसके कारण ताड़का एवं सेवक नाला सहित अन्य नालों का गन्दा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर परिषद् क्षेत्र में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का सीमांकन कराना

*2403. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी बसंतपुर सीवान द्वारा चंद्रमा प्रसाद पिता-स्व0 राजपत रावत, ग्राम बसाँव, थाना सीवान को जमींदारी पथा उन्मूलन के पहले से दखल-कब्जा में रहने के कारण तीन कट्ठा जमीन जिसका खाता नं0 73, सर्वे प्लाट नं0 4099 को बंदोबस्ती लैंड सेटलमेंट केस नं0 4/2001-02 के द्वारा की गई है जिसका अनुमोदन अनुमंडलाधिकारी महाराजगंज ने की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी बसंतपुर ने बंदोबस्ती का पर्चा दिनांक 23 फरवरी, 2004 को निर्गत किया है तथा मालगुजारी का रसीद नं0 669748, भोल्यूम बी, दिनांक 2 सितम्बर, 2004 को निर्गत किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चन्द्रमा प्रसाद वल्द स्व0 राजपत रावत के जमीन का सीमांकन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*2404. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के घुरगांव ग्राम में खाता सं0 687, खेसरा सं0 2327 नया खाता सं0 2150, खेसरा 2328, रकबा 27 एकड़ भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अतिपिछड़ा समुदाय के लगभग 500 भूमिहीन परिवार खेती कर अपने परिवार का भरणपोषण विगत 70 वर्षों से करते आ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर सरकार द्वारा पोखर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भूमिहीन परिवारों के हित में कृषि कार्य हेतु ही छोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2405. श्री विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लागू दूसरे कृषि रोड मैप के अधीन 2012 से 17 के बीच राज्य में सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता में 10.75 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध मात्र 6.859 लाख मीट्रिक टन की ही वृद्धि थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि तीसरे कृषि रोड मैप के अधीन 2017 से 22 तक राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण के अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया था परंतु मात्र 13 लाख मीट्रिक टन ही अनाज भंडारण में वृद्धि हुई है ;

(3)यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास निर्माण कराना

*2406. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के मैरवा, नौतन एवं जीरादेई अंचल में अंचलाधिकारी का सरकारी आवास नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल मुख्यालय में सरकारी आवास नहीं रहने से अंचलाधिकारी मुख्यालय से बाहर भाड़े के मकान में रहते, जिससे आमजनता का कार्य प्रभावित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अंचल में अंचलाधिकारियों का आवास निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादन करवाना

*2407. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखण्ड के पंचायत तेलिहार के मौजा बेला में स्थित खाता 180, खेसरा 58, 59, 64 एवं अन्य में रकबा 400 एकड़ गैर-मजरूआ जमीन को रैयतों ने आजादी से पहले जमीनदारों से खरीद की थी और जिस पर आजतक उनका कानूनी अधिकार है, को खगड़िया जिला प्रशासन द्वारा रैयतों के दावों का निष्पादन किये बगैर लागान रसीद अद्धतन पर रोक लगाकर सर्वे में उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्यपाल आदेश सं0 11.11.2014 के सरकारी संकल्प सं0 924-6- पत्रांक 613, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा सभी जिला समाहर्ता को गैरमजरूआ खास खेसरा एवं बकाश्त खेसरा भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के लिए आदेश-पत्र जारी किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आदेश के आलोक में रैयतों की जमीन के दावों को निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2408. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर(अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-राजपुर में 07 एकड़ का सरकारी पोखर है, जिमसें मछली पालन होता है और उसका सरकारी दर पर मछली पालन हेतु बंदोबस्ती भी होता है, जिससे सरकार को आय प्राप्त होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पोखर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण बंदोबस्ती कम रुपये में होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पोखर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2409. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत जय प्रकाश नारायण बस स्टैंड सिंचाई विभाग की जमीन पर अवस्थित है, जिसके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1312, दिनांक 28 अप्रील, 2022 के द्वारा विभाग को भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंड की भूमि को नगर विकास विभाग को हस्तान्तरित कराते हुये जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2410. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के कोचाधामन प्रखण्ड में पशु अस्पताल अवस्थित है, जिसके भवन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है इसके साथ ही उक्त पशु अस्पताल में कोई भी पशु चिकित्सक, पशु लैब एवं दवाई आदि की उपलब्धता नहीं रहती है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोचाधामन प्रखंड के पशु अस्पताल को जीर्णोद्धार कार्य कराते हुये पशु चिकित्सक, पशु लैब एवं दवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादन करवाना

*2411. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के गरौल अंचल अन्तर्गत रसूलपुर तुर्की पंचायत में दाखिल-खारिज, मालगुजारी, पुराने जमाबंदी से संबंधी जमीन का रसीद चार-पाँच वर्षों से नहीं कट रहा है, जिसके कारण आमजनों में काफी आक्रोश है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीन संबंधी उक्त कार्यों का निष्पादन ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करवाना

*2412. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं का पी०एम०जी०के०ए०वाई० (पी०एम०जी०के०ए०वाई०) योजना के तहत वितरित किये गये अनाज का मार्जिन मनी की राशि बकाया सहित अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक की अवधि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बकाये राशि की भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । भारत सरकार से डीलर मार्जिन मनी की राशि की विमुक्ति होने पर विक्रेताओं को भुगतान कर दिया जायेगा।

शौचालय का निर्माण

*2413. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, कटोरिया एवं नगर पंचायत, बौंसी बाजार में सुलभ शौचालय नहीं रहने से व्यापारियों के साथ-साथ आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायतों के बाजारों में सुलभ शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमति देना

*2414. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में पैक्स द्वारा संचालित अरवा चावल मिलों को अरवा चावल तैयार करने की अनुमति नहीं दी गयी, जबकि जिला के 70 प्रतिशत लोग अरवा चावल खाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला में उसना चावल मिल पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण राज्य खाद्य निगम को पर्याप्त मात्रा में उसना चावल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त जिला में पैक्स द्वारा संचालित अरवा चावल मिलों को अरवा चावल तैयार करने की अनुमति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । औरंगाबाद जिले में अरवा तथा उसना पसंद करने वाले लक्ष्यित जन-वितरण प्रणाली के लाभुकों के संबंध में कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य में सामान्यत: उसना चावल की माँग के आलोक में जिला वार उसना चावल मिलिंग क्षमता के आधार पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उसना तथा अरवा चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) अस्वीकारात्मक । औरंगाबाद जिले में 9 उसना चावल मिल प्रतिवेदित है। प्रतिवेदित मिलिंग क्षमता के आधार पर चावल अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि तक धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित 207489 मे०टन के समतुल्य 139018 मे० टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 38759.95 मे० टन उसना चावल प्राप्त कर लिया गया है। माह अगस्त, 2023 तक लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत उसना चावल प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) कंडिका (1) एवं (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कार्रवाई करना

*2415. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखंड के कतालपुर पैक्सों में एवं सदर प्रखण्ड के चैराव पैक्सों में पैक्स अध्यक्षों, मैनेजरों एवं सहकारिता अधिकारियों के मिलीभगत से 50 करोड़ से अधिक की राशि का गबन वर्ष 2017 में कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गबन के खिलाफ किसानों द्वारा गोपालगंज नगर थाना काण्ड संख्या 376/17 दर्ज कराया गया था लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति करवाना

*2416. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हरनौत प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरथा के ग्राम-गिरधरचक को पेयजल की आपूर्ति ग्राम-टांडापर में स्थापित पानी टंकी से होता है, जिसकी दूरी लगभग 1 कि०मी० होने के कारण पेयजल की आपूर्ति दो वर्ष से बंद है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम-गिरधरचक में नया टंकी बैठाकर पेयजल की आपूर्ति कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध करवाना

*2417. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सामान्य तौर से लोग उसना चावल खाते हैं जबकि जन-वितरण प्रणाली की दुकानों से अरवा चावल उपलब्ध हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला के लोगों को जन-वितरण प्रणाली की दुकानों से उसना चावल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक अस्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति हेतु 45 लाख मे०टन का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त निर्धारित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिला के लिये उसना चावल मिलों की मिलिंग क्षमता के अनुसार उसना तथा अरवा चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में 45 मे० टन लक्ष्य के विरुद्ध 42.04 लाख मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है एवं तद्नुसार जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उसना चावल प्राप्त कर लक्षित जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

ठीक करवाना

*2418. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर निगम, बेतिया के शहर को रात्रि में रौशनी हेतु चारों तरफ स्ट्रीट लाइट वर्ष 2020 में लगाया गया था, जिसमें 30 प्रतिशत लाइट खराब होकर बंद हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी लाइट पाँच साल अनुरक्षण अवधि में है जिसका देखभाल स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेन्सी को करना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 98 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550